

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:- प. 4(1)कार्मिक / क-2 / अं.प्र. / 2006

जयपुर, दिनांक:- 11-09-2009

परिपत्र

समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव

विषय:- विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन के संबंध में

विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों के समयबद्ध आयोजन किये जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करते हुए यह अपेक्षा की जाती रही है कि विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जावे। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित होने से जहां कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा वहीं पद भी रिक्त नहीं रहेंगे और उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा विभागीय पदोन्नति समितियों का नियमित आयोजन नहीं किया जा रहा है और विगत कई वर्षों की विभागीय पदोन्नति समितियों का आयोजन किया जाना शेष है। यह स्थिति निश्चित रूप से संतोषजनक नहीं है।

अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि समस्त प्रशासनिक विभाग एवं विभागाध्यक्ष अब तक की बकाया वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त आपके अधिनस्थ विभागों में अवशेष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की सूचना निम्न प्रपत्र में 15 दिन में इस विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायें।

विभाग/सेवा	पदनाम	पदोन्नति वर्ष जिसकी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किया जाना शेष है।	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं करने के कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

भवदीय,
(खमराज)
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकितों को प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मार्ग सचिव, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर एवं संभागीय आयुक्त सहित)।

Shy 119
(बी. के. दोसी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।

Shy 119
शासन उप सचिव

११/२००९